मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १२ सन् २०२५

मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक, २०२५

विषय-सूची

खण्ड :

अध्याय-एक
प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

२. परिभाषाएं.

अध्याय-दो
महानगर क्षेत्र एवं महानगर नियोजन समिति का गठन

३. महानगर क्षेत्र की घोषणा.

४. महानगर योजना समिति का गठन.

५. समितियों की संरचना.

६. विशेष आमंत्रित सदस्य.

७. समिति के कृत्य एवं शक्तियां.

अध्याय-तीन
प्राधिकरण की स्थापना एवं गठन

८. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन.

९. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य.

१०. कार्यकारी समिति का गठन.

११. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की समितियों की नियुक्ति, लेखा परीक्षकों एवं सलाहकारों की नियुक्ति तथा कार्यात्मक इकाइयों के गठन करने की शक्ति.

१२. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का महानगर क्षेत्र के एकीकृत विकास को छोड़कर स्थानीय निकायों के बाध्यकारी एवं विवेकाधीन कर्तव्यों से संबंधित विषयों के लिए उपबंध न करना.

१३. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कर्मचारिवृंद.

१४. पेंशन और भविष्य निधि.

अध्याय-चार
महानगर विकास एवं निवेश योजना

१५. महानगर विकास एवं निवेश योजना का निर्माण एवं उसकी अन्तर्वस्तु.

१६. योजना की मंजूरी हेतु शासन को प्रस्तुति.

१७. शासन द्वारा योजना को मंजूरी.

१८. महानगर विकास एवं निवेश योजना में उपांतरण.

अध्याय-पांच
एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण

१९. एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण का गठन.

२०. एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण की शक्तियां एवं कृत्य.

अध्याय-छह
विकास का संवर्धन और भूमि का उपयोग

२१. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की विकास की शक्तियां.

२२. क्षेत्र विकास योजना.

२३. क्षेत्र विकास योजना की स्वीकृति एवं उपांतरण.

२४. नगर विकास स्कीम.

२५. विकास अनुज्ञा की अनिवार्यता.

२६. संघ या राज्य सरकार की ओर से हाथ में लिया गया विकास.

२७. स्थानीय प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम के अधीन गठित किसी प्राधिकरण द्वारा किया गया विकास कार्य.

२८. अन्य व्यक्तियों द्वारा विकास की अनुज्ञा हेतु आवेदन.

२९. अनुज्ञा का स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाना.

३०. अपील.

३१. पुनरीक्षण.

३२. अनुज्ञा का समाप्त होना.

३३. अनुज्ञा का प्रतिसंहृत किया जाना.

३४. विकास या निर्माण के दौरान विचलन एवं अनधिकृत विकास के विरुद्ध कार्रवाई.

३५. विचलन की स्थिति में महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की शक्ति.

अध्याय-सात
भूमि का अर्जन, संकलन एवं निपटान

३६. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, २०१३ के अधीन भूमि के अर्जन की शक्ति.

३७. शासकीय भूमि का महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को हस्तांतरण.

३८. वार्ता आधारित समझौते द्वारा भूमि का अर्जन.

३९. हस्तांतरणीय विकास अधिकार के माध्यम से भूमि का अर्जन.

४०. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि एवं अन्य संपतियों का निपटान.

४१. भूमि बैंक की स्थापना एवं प्रबंधन.

अध्याय-आठ

वित्त, लेखा, बजट एवं लेखा परीक्षण

४२. महानगर विकास निधि का सृजन.

४३. महानगर विकास निधि और उसका अनुप्रयोग.

४४. पूंजीगत अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए विशेष उपकर/शुल्क उद्ग्रहित करने की शक्ति.

४५. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का बजट.

४६. वार्षिक योजना एवं प्रतिवेदन.

अध्याय-नौ

विकास प्रभार और उपयोगकर्ता शुल्क का उद्ग्रहण, निर्धारण और वसूली

४७. विकास प्रभार का उद्ग्रहण.

४८. विकास प्रभार का निर्धारण एवं वसूली.

४९. उपयोगकर्ता प्रभारों का उद्ग्रहण.

५०. बकाया राशि की वसूली.

अध्याय-दस

नियंत्रण

५१. शासन द्वारा निर्देश.

५२. विवरणियां और जानकारी.

अध्याय-ग्यारह

विविध तथा अनुपूरक उपबंध

५३. प्रवेश का अधिकार एवं सर्वेक्षण एवं सीमांकन की शक्ति.

५४ प्रत्यायोजन की शक्ति.

५५. इस अधिनियम के उपबंधों का अध्यारोही प्रभाव होगा.

५६. पूर्व से तैयार एवं स्वीकृत योजनाएं.

५७. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की निर्देश देने की शक्ति.

५८. नियम बनाने की शक्ति.

५९. विनियम बनाने की शक्ति,

६०. विकास योजनाओं का महानगर विकास एवं निवेश योजना के अनुरूप होना.

६१. क्षतिपूर्ति.

६२. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ के अंतर्गत कृत्यों का प्रतिषिद्ध न होना.

६३. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

६४. प्राधिकरण का विघटन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १२ सन् २०२५

मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक, २०२५

भारत के संविधान के ७४वें संशोधन में परिभाषित उपबंधों को समाविष्ट करते हुए, महानगर क्षेत्र के क्षेत्रीय नियोजन और विकास को सुनिश्चित करने के लिए उपबंध करने हेतु, नियोजन, समन्वयन, पर्यवेक्षण, उन्नयन के प्रयोजन के लिए महानगर नियोजन समिति के गठन, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना, महानगर विकास तथा नियोजन योजना तैयार करने, क्षेत्र विकास योजनाओं तथा नगर विकास स्कीमों के समुचित कार्यान्वयन के माध्यम से योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने तथा संसक्त या उसमें आए आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम, २०२५ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर लागू होगा.

(३) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "कृषि" में सम्मिलित है, उद्यानिकी, खेती, वार्षिक या आवधिक फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों, घास, चारे, वृक्षों या किसी भी प्रकार की भूमि की खेती, भूमि का चारे, चराई अथवा छप्पर घास हेतु आरक्षित करना, पशुपालन जिसमें गाय, घोड़े, गधे, खच्चर, सूअर, मछली पालन, मधुमक्खी पालन सम्मिलित हैं, तथा भूमि के कृषिक उपयोग से संबंधित अन्य उपयोग किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे,-

(एक) केवल दूध निकालने और दूध या दुग्ध उत्पादों की बिक्री के उद्देश्य से पशुपालन करना;

(दो) वह बाग जो किसी भवन का परिशिष्ट है, और "कृषि" शब्द की व्याख्या तद्नुसार की जाएगी.

(ख) "सुविधा" में सम्मिलित है, सड़कें एवं गलियाँ, मेट्रो रेल, जल, गैस एवं विद्युत आपूर्ति, खुले स्थान, उद्यान, मनोरंजन क्षेत्र, प्राकृतिक विशेषताएँ, खेल मैदान, पर्यटक स्थल, सड़क प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी, मलजल व्यवस्था, डिजिटल संचार अवसंरचना तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रयोजन हेतु सुविधा के रूप में घोषित की गई अन्य उपयोगिताएँ, सेवाएँ एवं सुविधाएँ;

(ग) "क्षेत्र विकास योजनाएँ" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा २२ के अधीन, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र या परिक्षेत्र हेतु तैयार की गई योजनाएं क्षेत्र विकास योजनाओं में भूखंड उपयोग, अग्नि सुरक्षा, अभिगम्यता, सड़क डिजाइन, पैदल मार्ग निर्माण, परिवहन तंत्र, अवसंरचना, पार्किंग प्रबंधन, हरित नेटवर्क, जिसमें उद्यान एवं खुले स्थान आदि प्रावधान का निर्धारण कर सम्मिलित कर सकता हैं. क्षेत्र विकास योजनाओं में चिन्हित विनियम आधार क्षेत्र विनियमों पर प्राथमिकता से लागू होंगे;

(घ) "भवन" से अभिप्रेत है, किसी मकान, झोंपड़ी, शेड या किसी भी प्रयोजन हेतु और किसी भी सामग्री से निर्मित संरचना तथा उसका प्रत्येक भाग, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी तथा चाहे वह मानव निवास हेतु प्रयुक्त होता हो या नहीं और इसमें कुंए, शौचालय, जल निकासी कार्य, स्थायी मंच, बरामदा, चबूतरा, चौखट, परिसीमा दीवार, बाड़बंदी इत्यादि सम्मिलित होंगे तथा इससे संबंधित कोई भी कार्य सम्मिलित होगा, परन्तु इसमें किसी भवन में अंत निहित संयंत्र या मशीनरी सम्मिलित नहीं होगी;

(ड.) "समिति" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा ४ के अधीन गठित महानगर योजना समिति;

(च) "कंपनी" से अभिप्रेत है, कम्पनी अधिनियम, २०१३ के अन्तर्गत पंजीकृत कोई भी निगमित निकाय और इसमें सम्मिलित है, कोई फर्म या व्यक्तियों का संघ;

(छ) "विकास" इसके व्याकरणिक रूपों सहित, से अभिप्रेत है, किसी भूमि पर या उसके ऊपर अथवा नीचे भवन, अभियांत्रिकी, खनन या अन्य कार्यों का निष्पादन करना अथवा किसी भवन या भूमि में या उनके उपयोग में कोई भौतिक परिवर्तन करना और इसमें पुनर्विकास, भूमि का सुधार, पर्यावरण का संरक्षण, लेआउट का निर्माण तथा किसी भूमि का उप-विभाजन सम्मिलित है;

(ज) "संचालक" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ के अन्तर्गत नियुक्त नगर तथा ग्राम निवेश संचालक;

(झ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ञ) "शासकीय कंपनी" से अभिप्रेत है, ऐसी शासकीय कंपनी या निगम जो कम्पनी अधिनियम, २०१३ (क्रमांक १८ सन् २०१३) के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा जिसके उद्देश्यों में से एक उद्देश्य क्षेत्र का विकास करना हो;

(ट) "भूमि" में सम्मिलित है, भूमि और भूमि से अनुलग्न या भूमि से स्थायी रूप से अनुलग्न किसी वस्तु से उद्भूत कोई लाभ;

(ठ) "स्थानीय प्राधिकरण" से अभिप्रेत है,-

(एक) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) द्वारा या उसके अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम;

(दो) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) द्वारा या उसके अधीन गठित कोई नगरपालिका या नगर परिषद्;

(तीन) मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) के अधीन गठित कोई ग्राम पंचायत;

(ड) "महानगर विकास एवं निवेश योजना" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा १७ के अन्तर्गत तैयार की गई एवं लागू की गई योजना;

(ढ) "महानगर क्षेत्र" से अभिप्रेत है, ऐसा क्षेत्र जिसे सरकार इस अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें;

(ण) "महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा ८ के अन्तर्गत गठित महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण;

(त) "अधिवासी" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,-

(एक) कोई किरायेदार;

(दो) अपनी भूमि पर निवास करने वाला या अन्यथा उपयोग करने वाला स्वामी;

(तीन) किरायामुक्त किरायेदार;

(चार) अनुज्ञप्तिधारी (लाइसेंसी);

(पांच) वह व्यक्ति जो स्वामी को भूमि के उपयोग और अधिवास के लिए क्षतिपूर्ति देने हेतु उत्तरदायी हो.

(थ) "स्वामी" से अभिप्रेत है, भूमि या भवन के स्वामी और इसमें सम्मिलित है, बंधककर्ता जो भूमि या भवन के भोगाधिकार में है तथा वह व्यक्ति भी, जो उस समय किराया अथवा अन्य रूप में आय प्राप्त कर रहा हो अथवा प्राप्त करने का अधिकारी हो, जिसने किसी भूमि के लिए किराया या प्रीमियम प्राप्त किया हो, चाहे वह अपने स्वयं के खाते पर हो या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या उसके लाभ के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से एजेंट, न्यासी, संरक्षक या रिसीवर के रूप में या धार्मिक या चैरिटेबल संस्थानों के लिए हो या जो किराया प्राप्त करता हो या यदि भूमि किराए पर दी जाती तो उसे किराया या प्रीमियम प्राप्त करने का अधिकार होता और इसमें किसी सरकारी विभाग का प्रमुख, रेलवे का महाप्रबंधक तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण, वैधानिक प्राधिकरण, कंपनी, निगम या उपक्रम के प्रमुख कार्यपालक अधिकारी (चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए) सम्मिलित हैं, जो अपनी निगरानी में आने वाली संपत्तियों के संदर्भ में कार्य करते हैं;

(द) "योजना" से अभिप्रेत है, एक या एक से अधिक मानचित्र जिसमें प्रस्तावों को दर्शित किया गया हो तथा/या दस्तावेजों का और/या कथन एवं नीतियां और विकास संक्षेप, जो महानगर क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र के लिए विकास को सुनिश्चित करने, प्रोत्साहित करने और विनियमित करने के लिए हों;

(ध) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन शासन द्वारा जारी नियम, विनियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश;

(न) "विनियम" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम;

(प) "महानगर विकास के क्षेत्र" से अभिप्रेत और उसमें सम्मिलित है, यातायात और परिवहन सुविधाएँ, आवास, नई टाउनशिप, संचार नेटवर्क, सामुदायिक सुविधाएँ, कार्य केंद्र, खुले स्थान और पर्यावरण, पारिस्थितिक विकास, अवकाश, पर्यटन और मनोरंजन सुविधाएँ;

(फ) "नगर विकास योजना" से अभिप्रेत है, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा महानगर विकास और निवेश योजना के प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार की गई योजना,

(ब) "विकास अधिकारों का अंतरण" से अभिप्रेत है, भूमि के स्वामी द्वारा परित्यक्त या समर्पित क्षेत्र के बदले में एक निश्चित मात्रा में अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की उपलब्धता, ताकि वह इस अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र का स्वयं उपयोग कर सके या अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता होने पर उसे किसी अन्य को अंतरण कर सके.

अध्याय-दो

महानगर क्षेत्र एवं महानगर नियोजन समिति का गठन

महानगर क्षेत्र की घोषणा.

३. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी शहरी और/या ग्रामीण क्षेत्र को विकास क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगी.

(२) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार,-

(एक) महानगर क्षेत्र की सीमाओं को इस प्रकार परिवर्तित कर सकेगी जिससे उसमें क्षेत्र जोड़े या उससे ऐसे क्षेत्र हटाए जा सकें, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएं;

(दो) दो या अधिक महानगर क्षेत्रों को मिलाकर एक महानगर क्षेत्र बना सकेगी;

(तीन) किसी क्षेत्र को दो या अधिक महानगर क्षेत्रों में विभाजित कर सकेगी; या

(चार) यह घोषित कर सकेगी कि कोई संपूर्ण या आंशिक क्षेत्र, जो किसी महानगर क्षेत्र का भाग है, अब महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा या उसका भाग नहीं रहेगा.

महानगर योजना समिति का गठन.

४. प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा.

समिति की संरचना.

५. (१) धारा ४ के अंतर्गत गठित समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (जो तीन से अधिक न हो) तथा एक सदस्य-सचिव सहित उतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं:

परन्तु समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य महानगर क्षेत्र में स्थित नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा पंचायतों के अध्यक्षों में से, जनसंख्या के अनुपात के अनुसार, निर्वाचित होकर चयनित किए जाएंगे.

(२) भारत सरकार, राज्य सरकार तथा ऐसे संगठन एवं संस्थान, जो समिति को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक समझे जाएं, का समिति में प्रतिनिधित्व ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए.

(३) उपधारा (१) में यथा उल्लिखित समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया तथा उससे संबंधित सभी विषय ऐसे होंगे, जैसे नियमों द्वारा विहित किए जाएं.

विशेष आमंत्रित सदस्य.

६. (१) लोक सभा के सदस्य तथा राज्य विधान सभा के सदस्य, जिनके निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से महानगर क्षेत्र में स्थित हैं, समिति की बैठकों के स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे.

(२) महानगर क्षेत्र में नगरपालिका, नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष और नगरपालिक निगम के महापौर भी, यदि समिति के निर्वाचित सदस्य नहीं हैं, तो भी समिति के स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे.

समिति के कृत्य एवं शक्तियां.

७. (१) समिति पूरे महानगर क्षेत्र के लिए एक महानगर विकास एवं निवेश योजना प्रारुप तैयार करेगी.

(२) समिति उन सभी शक्तियों का भी प्रयोग करेगी, जो इस अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित किए गए हों या राज्य सरकार द्वारा महानगर नियोजन समिति के कार्यों के संबंध में सौंपे जाएं.

(३) राज्य सरकार वह रीति, जिसमें सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, विहित कर सकेगी.

(४) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय समिति सरकार की अधीनस्थ संस्था समझी जाएगी तथा वह सरकार की ओर से और सरकार के लिए इन शक्तियों का प्रयोग करेगी.

अध्याय-तीन

प्राधिकरण की स्थापना एवं गठन

महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन.

८. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा ३ के अधीन अधिसूचित महानगर क्षेत्र के लिए महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन कर सकेगी.

(२) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण,-

(एक) एक निगमित निकाय होगा, जिसकी शाश्वत उत्तराधिकारिता होगी तथा जिसकी एक सामान्य मुद्रा (कॉमन सील) होगी; तथा

(दो) इस अधिनियम द्वारा उसके अंतर्गत अधिरोपित प्रतिबंधों के अध्यधीन रहते हुए वह अपने निगमित नाम से वाद दायर कर सकता है या उसके विरुद्ध वाद दायर किया जा सकता है.

(३) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे,-

(एक) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, जो अध्यक्ष होंगे;

(दो) नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री, जो उपाध्यक्ष होंगे;

(तीन) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री, जो उपाध्यक्ष होंगे;

(चार) राजस्व विभाग के मंत्री, जो उपाध्यक्ष होंगे;

(पांच) मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव;

(छह) नगरीय विकास एवं आवास, राजस्व, परिवहन, लोक निर्माण, पर्यावरण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव;

(सात) वे संभागायुक्त जिनका मुख्यालय क्षेत्र में स्थित है;

(आठ) अधिनियम की धारा ४ के अधीन गठित समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट महानगर योजना समिति के दो से अनधिक प्रतिनिधि;

(नौ) संचालनालय नगर एवं ग्राम निवेश के संचालक;

(दस) महानगर आयुक्त (जो राज्य शासन के सचिव के पद से कम नहीं होंगे) सदस्य-संयोजक;

(ग्यारह) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट विशिष्ट विषय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार से अनधिक अन्य व्यक्ति;

(बारह) विशेष आमंत्रित सदस्य:-

(क) संबंधित नगर पालिक निगमों के आयुक्त;

(ख) संबंधित रेलवे क्षेत्र के महाप्रबंधक;

(ग) भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के प्रतिनिधि;

(घ) भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रतिनिधि;

(ङ) मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) के प्रबंध संचालक;

(च) महानगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मध्यप्रदेश राज्य विधान सभा के चार सदस्य, जिन्हें शासन द्वारा नामांकित किया जाएगा;

(छ) महानगर क्षेत्र में सम्मिलित नगर पालिक निगमों के महापौरों, नगरपालिकाओं के अध्यक्षों तथा जिला पंचायतों के अध्यक्षों में से शासन द्वारा नामांकित तीन सदस्य.

(४) उपधारा (३) के खण्ड (ग्यारह) और खण्ड (बारह) के उपखण्ड (च) तथा (छ) के अधीन नियुक्त सदस्य, ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसे शर्तों पर पद धारण करेंगे, जैसा कि विहित किया जाए.

(५) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के किसी सदस्य को सम्मिलित या विलोपित कर सके, ऐसी अधिसूचना राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.

(६) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण प्रत्येक छह माह में कम से कम एक बार, ऐसे स्थान और समय पर बैठक करेगा जैसा कि अध्यक्ष निर्धारित करे.

महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य.

६. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के निम्नलिखित कृत्य होंगे:-

(१) समिति को महानगर विकास एवं निवेश योजना के निर्माण, उक्त योजना के पुनर्विलोकन एवं संशोधन तथा उक्त योजना के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने में सहायता करना;

(२) उक्त योजना के अनुसार परियोजनाओं एवं योजनाओं के निष्पादन का जिम्मा लेना नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण (प्राधिकरणों) के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर:

परंतु यदि कोई परियोजना या योजना एक से अधिक नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरणों के क्षेत्राधिकार में आती है, तो ऐसी परियोजना या योजना का क्रियान्वयन महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त योजना के अनुसार किया जाएगा.

(३) विकास क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के लिए परियोजनाओं अथवा योजनाओं के समन्वय और निष्पादन हेतु एक शीर्ष निकाय तथा महानगर क्षेत्र में ऐसे अन्य उपयुक्त उपाय करना;

(४) नगरपालिक निगम, नगरपालिकाओं, अन्य स्थानीय प्राधिकरणों, नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण (प्राधिकरणों) तथा महानगर क्षेत्र में विकास कार्यों से संबंधित ऐसे अन्य निकायों की विकास गतिविधियों का समन्वय करना;

(५) किसी ऐसी परियोजना अथवा योजना के निष्पादन पर निगरानी रखना, उसका पर्यवेक्षण करना या पर्याप्त पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना, जिसकी व्यय राशि पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से महानगर विकास निधि से वहन की जानी हो;

(६) उन व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु वैकल्पिक क्षेत्रों की उपलब्धता की योजना बनाना एवं उनके क्रियान्वयन का जिम्मा लेना, जो ऐसी परियोजनाओं और योजनाओं के कारण विस्थापित हुए हों, जो ऐसी आवश्यकताओं का उपबंध करती है;

(७) महानगर विकास निधि का संधारण और प्रबंधन करना एवं सुविधाओं तथा अवसंरचना सुविधाओं का विकास करने के लिए स्थानीय निकायों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के आधार पर वित्तीय आवंटन करना तथा विभिन्न सार्वजनिक एजेंसियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य एजेंसियों को उसके माध्यम से किए गए विकास कार्यों से संबंधित बजट आवंटनों की निगरानी करना एवं वित्तीय नियंत्रण का प्रयोग करना;

(८) अपने स्तर पर या किसी एजेंसी के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर की योजनाओं का क्रियान्वयन करना, जिसमें अधोसंरचना विकास, सार्वजनिक सुविधाओं एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यों का निष्पादन करना;

(९) महानगर भूमि बैंक का निर्माण एवं प्रबंधन करना और सार्वजनिक प्रयोजनों, टाउनशिप विकास, अधोसंरचना विकास आदि के लिए आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष भूमि अधिग्रहण करना, स्थानीय निकायों एवं सार्वजनिक एजेंसियों को सुविधाओं तथा अधोसंरचना सुविधाओं का विकास करने हेतु ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के साथ भूमि का आवंटन करना;

(१०) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी व्यक्ति, निकाय या संगठन के साथ अनुबंध, समझौता या व्यवस्था करना;

(११) किसी भी चल अथवा अचल संपत्ति को क्रय, विनिमय, उपहार, पट्टे, बंधक, वार्ता द्वारा समाधान या किसी अन्य विधिसम्मत साधन से अधिग्रहीत करना;

(१२) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन तथा शक्तियों का प्रयोग करना जैसा कि उपर्युक्त कर्तव्यों और अधिकारों से सहवर्ती, आनुषंगिकया या परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले हों शक्तियों अथवा ऐसे विषयों को लेना जैसा कि सरकार इस संबंध में निर्देशित करे:

(१३) सरकार द्वारा यथानिर्देशित कोई भी परियोजना, योजना, क्षेत्र विकास योजना आदि का क्रियान्वयन करना.

कार्यकारी समिति का गठन.

१०. (१) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की एक कार्यकारी समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(एक) महानगर आयुक्त, जो अध्यक्ष होंगे;

(दो) नगरपालिक निगम (निगमों) के आयुक्त;

(तीन) मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) के प्रबंध संचालक;

(चार) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (MPHIDB) के आयुक्त;

(पांच) मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) के प्रबंध संचालक;

(छह) मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त सचिव से अनिम्न पद श्रेणी (रैंक) के प्रतिनिधि;

(सात) मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के उप परिवहन आयुक्त से अनिम्न पद श्रेणी (रैंक) के प्रतिनिधि अपने क्षेत्राधिकार के भीतर;

(आठ) नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के संयुक्त संचालक से अनिम्न पद श्रेणी (रैंक) के अधिकारी (अपने क्षेत्राधिकार में);

(नौ) एक सदस्य-योजना, जो स्थानिक योजना, विकास योजनाओं और परियोजनाओं में अर्ह और अनुभवी हो;

(दस) एक सदस्य इंजीनियरिंग, जो विकास योजनाओं, आवासीय परियोजनाओं, टाउनशिप योजनाओं और आधारभूत संरचना परियोजनाओं के निष्पादन में अर्ह और अनुभवी हो;

(ग्यारह) एक सदस्य वित्त, जो लेखांकन, बजट, वित्त, परियोजनाओं से संबंधित आर्थिक मामलों, लेखा परीक्षा आदि में अर्ह और अनुभवी हो;

(बारह) एक सदस्य संपदा (एस्टेट्स), जो भूमि प्रबंधन, संपदा प्रबंधन और परिसंपत्ति प्रबंधन में अनुभवी हो;

(तेरह) एक सदस्य पर्यावरण, जो पर्यावरणीय पहलुओं, हरित क्षेत्र, जल निकायों के संरक्षण और भू-दृश्य (लैंडस्केपिंग) में अर्ह और अनुभवी हो;

(चौदह) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सचिव, जो व्यवसाय प्रबंधन में अर्ह तथा अनुभवी प्रबंधन कार्यपालक होंगे, कार्यकारी समिति के सदस्यसचिव होंगे;

(पंद्रह) उन सभी जिलों के जिलाधीश जो पूर्णतः या आंशिक रूप से महानगर क्षेत्र में आते हैं;

(सोलह) ऐसे तीन गैरसरकारी व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाएगा और जो सरकार की राय में क्रमशः नगरीय योजना, नगरीय प्रबंधन, अधोसंरचना योजना और विकास के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं विशेषज्ञता रखते हों.

(२) उपधारा (१) के खंड (सोलह) के अंतर्गत नामांकित सदस्य, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसे नियमों एवं शर्तों पर पद धारण करेंगे, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए.

(३) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा कार्यकारी समिति के किसी सदस्य को जोड़ सकती है या हटा सकती है. ऐसी अधिसूचना राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.

(४) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यों का प्रबंधन एवं प्रशासन कार्यकारी समिति में निहित होगा.

(५) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों और शक्तियों के प्रत्यायोजन के अध्यधीन रहते हुए, महानगर आयुक्त महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली किसी भी शास्ति का प्रयोग या किए जा सकने वाले किसी भी कार्य या बात को कर सकेगा और ऐसा कार्य महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया माना जाएगा.

महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण समितियों की नियुक्ति, लेखा परीक्षकों एवं सलाहकारों की नियुक्ति तथा कार्यात्मक इकाइयों के गठन की शक्ति.

११. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण समय-समय पर अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित कर सकेगा:-

(एक) एक या अधिक कार्यात्मक समितियों की नियुक्ति करना. कार्यात्मक समितियाँ महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगी तथा उसके निर्देशों और आदेशों के अधीन अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगी;

(दो) ऐसे व्यक्ति या संगठन से परामर्श करेगा या सहयुक्त होगा जिसकी सहायता या परामर्श वह आवश्यक समझे. ऐसे सलाहकारों या परामर्शदाताओं को महागनर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा;

(तीन) जितनी आवश्यकता हो उतनी क्षेत्रीय कार्यात्मक इकाइयों, उपक्षेत्रीय इकाइयों अथवा कार्यालयों का गठन करेगा और ऐसी इकाईयों को उपयुक्त कार्य एवं जिम्मेदारियाँ तथा कृत्य सौंपना. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अंतर्गत गठित नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यात्मक इकाइयाँ माना जाएगा.

महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का महानगर क्षेत्र के एकीकृत विकास को छोड़कर स्थानीय निकायों के बाध्यकारी एवं विवेकाधीन कर्तव्यों से संबंधित विषयों के लिए उपबंध न करना.

१२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को किसी महानगर क्षेत्र में, किन्ही ऐसे मामलों के लिए, जो संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के लिए उपबंधित किए गए हैं अथवा निष्पादित किए जाने हैं, दैनिक नियंत्रण, जिसमें भवन अनुमोदन तथा भवन प्रवर्तन सम्मिलित है, करने के लिए सशक्त नहीं करेगी, तब कि सिवाय जबकि ऐसे किन्हीं मामलों का महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा उपबंधित किया जाना, महानगर क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए अपेक्षित न हो.

महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कर्मचारिवृंद.

१३. धारा १० की उपधारा (१) में, खण्ड (नौ) से (चौदह) में, सदस्य अपने अपने विभागों क्रमशः योजना एवं परियोजन, अभियांत्रिकी, वित एवं लेखा, संपदा प्रबंधन, पर्यावरण एवं प्रशासन विभागों के प्रमुख होंगे और महानगर आयुक्त के समग्र नियंत्रणाधीन होंगे.

पेंशन एवं भविष्य निधि.

१४. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अपने पूर्णकालिक वेतनभोगी सदस्यों, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाएं, ऐसी पेंशन एवं भविष्य निधि का गठन करेगा, जैसा कि वह उचित समझे.

अध्याय-चार
महानगर विकास एवं विशेष योजना

महानगर विकास एवं निवेश योजना का निर्माण एवं उसकी अन्तर्वस्तु.

१५. (१) इस अधिनियम तथा इस संबंध में बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण न्यूनतम पंद्रह वर्षों की समयावधि के साथ महानगर विकास एवं निवेश योजना का प्रारुप तैयार करने में समिति की सहायता करेगा, जिसमें निम्नलिखित बातों का सम्यक रूप से ध्यान रखा जाएगा:-

(एक) महानगर क्षेत्र में संवृद्धि को प्रोत्साहित करने एवं आर्थिक विकास सुरक्षित करने के लिए प्रस्ताव एवं नीतियाँ;

(दो) महानगर क्षेत्र में संसाधनों के संरक्षण, सर्वोत्तम उपयोग एवं विकास हेतु प्रस्ताव;

(तीन) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन स्वीकृत विकास योजनाएँ;

(चार) भूमि उपयोग जैसे आवासीय क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि, वन क्षेत्र, बंजर भूमि, राजमार्ग, रेलवे, जल निकाय, खनन क्षेत्र आदि तथा पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण तथा सुरक्षा हेतु व्यापक विकास क्षेत्रों तथा सामान्य अवस्थिति का संकेत करने वाली योजना, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

(क) मुख्य अधोसंरचना सुविधाएं जैसे परिवहन, ऊर्जा, संचार नेटवर्क एवं संबंधित सुविधाएं जैसे विद्युत संयंत्र, सड़कें, राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डे और जलमार्गों की वर्तमान स्थिति एवं प्रस्तावों को दर्शाने वाली अधोसंरचना नेटवर्क योजना;

(ख) प्राकृतिक सौंदर्य वाले क्षेत्रों एवं दर्शनीय स्थलों तथा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व वाले स्थलों एवं पर्यटन क्षेत्रों के संरक्षण, संवर्धन एव विकास हेतु नीतियां;

(ग) जलग्रहण प्रबंधन, जल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण एवं जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रस्ताव एवं नीतियां;

(घ) जल तटीय भाग हेतु प्रस्ताव एवं योजनाएं;

(ङ) सार्वजनिक सुविधाओं तथा सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, बिजली, संचार, गैस, वर्षा जल निकासी, सीवरेज, कचरा निपटान, शिक्षण सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक कल्याण एवं वायु तथा जल प्रदूषण नियंत्रण के सुधार एवं विकास हेतु प्रस्ताव एवं नीतियाँ;

(च) परिक्षेत्रिक एवं अन्य विकास विनियमों के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करने, उपयोग एवं गतिविधियों को विनियमित करने हेतु नीतियाँ;

(छ) आवास एवं सामुदायिक सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु नीतियाँ;

(ज) यातायात एवं परिवहन तथा सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु प्रस्ताव एवं नीतियाँ;

(झ) औद्योगिक विकास हेतु प्रस्ताव एवं नीतियाँ;

(ञ) प्रमुख विकास परियोजनाओं का स्थापन;

(ट) समय-सीमा में विभिन्न प्रस्तावों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु रणनीतियाँ एवं प्राथमिकताएं;

(ठ) वन क्षेत्रों के पुनर्जीवन एवं मृदा क्षरण की रोकथाम से संबंधित उपाय,

(ड) भवनों तथा संरचनाओं के वास्तुशिल्प नियंत्रण विशेषताएं, भवनों तथा संरचनाओं की ऊँचाई एवं अग्रभाग हेतु सुझाव देना,

(ढ) महानगर क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक कोई अन्य विषय.

(२) उपरोक्त उल्लिखित योजनाएं तैयार करने हेतु सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं अध्ययन करना तथा महानगर क्षेत्र डाटा बेस एवं सूचना प्रणाली सृजित करना एवं रखरखाव करना, जानकारी संग्रहित करना, रिपोर्ट एवं मानचित्र तैयार करना तथा जहां आवश्यक हो सलाहकारों, परामर्शदाताओं को जोड़ना.

(३) विशिष्ट क्षेत्रों हेतु क्षेत्र स्तरीय विस्तृत योजनाएं तैयार करना, विकास कार्यक्रम योजना तैयार करना एवं चरणबद्ध कार्यान्वयन करना तथा योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के प्रयोजन हेतु विशेष विकास विनियम लागू करना.

(४) महानगर विकास एवं निवेश योजना के पुनर्विलोकन एवं उपांतरण करने में समिति की सहायता करना.

योजना की स्वीकृति हेतु शासन को प्रस्तुति.

१६. (१) धारा १५ के अनुसार उक्त योजना तैयार करने के पश्चात् महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, योजना को समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा और उसे ऐसे प्ररूप तथा रीति में जैसा कि विहित किया जाए, अधिसूचित करने हेतु, किसी व्यक्ति या निकाय से, आपत्तियाँ एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु तीस दिन का समय देते हुए, आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करेगा.

(२) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अभ्यावेदनों, आपत्तियों और सुझावों, जो उक्त योजना पर उपरोक्त उपधारा (१) में उल्लिखित कालावधि के दौरान प्राप्त हुए हैं, की सुनवाई और विचारण हेतु समिति गठित करेगा.

(३) समस्त आपत्तियों, सुझाव एवं अभ्यावेदनों जो कि प्राप्त हुए हैं पर विचार करने के पश्चात् महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण उपरोक्त उपधारा (२) में गठित समिति की सिफारिशों को, महानगर विकास एवं निवेश योजना की स्वीकृति के लिए, अपनी टिप्पणियों के साथ, उसे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा.

शासन द्वारा योजना को मंजूरी.

१७. (१) धारा १६ के अधीन योजना प्राप्त होने पर, शासन तीन मास की कालावधि के भीतर, उक्त योजना को यथावत् या उपांतरणों सहित स्वीकृति प्रदान करेगा अथवा उसे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को ऐसे निर्देशों के साथ उपांतरित करने या नवीन योजना तैयार करने हेतु लौटा सकता है, जैसा कि शासन उपयुक्त समझे:

परन्तु यह और कि शासन यदि आवश्यक समझे तो, उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि को और तीन मास के लिए बढ़ा सकेगा.

(२) शासन द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी तथा योजना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगी.

(३) महानगर आयुक्त ऐसी आवश्यक कार्रवाई करेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि विकास परियोजना या योजना, महानगर क्षेत्र के समग्र विकास के हित में तथा महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण या प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या शासन द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किसी योजना, परियोजना या स्कीम के अनुसार निष्पादित हो.

महानगर विकास और निवेश योजना में उपांतरण.

१८. (१) शासन स्वप्रेरणा से अथवा समिति या महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अनुरोध पर, महानगर विकास और निवेश योजना में उपांतरण कर सकेगा जो वह ठीक समझे और जो उसकी राय में आवश्यक हो.

(२) महानगर आयुक्त ऐसे उपांतरण की एक रिपोर्ट आवश्यक योजना के साथ तैयार करेगा और उसे शासन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा. धारा १६ और १७ के उपबंध, यथासंभव उपधारा (१) के अधीन किए गए उपांतरणों को लागू होंगे, यथासम्भव ये उपबंध महानगर विकास तथा निवेश योजना के तैयार किए जाने, प्रकाशन तथा अनुमोदन के संबंध में लागू होते.

(३) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्वामियों से ऐसे शुल्क और परिवर्तन प्रभार उद्ग्रहीत करेगा जो महानगर विकास एवं निवेश योजना को प्रभावी किसी ऐसे उपांतरण में लागू हो और विहित किए जाएं.

अध्याय-पांच

एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण

एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण का गठन.

१९. (१) राज्य शासन, महानगर क्षेत्र हेतु एक एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण का गठन कर सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए.

(२) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उपधारा (१) के अधीन ऐसे प्राधिकरण के गठन होने तक, एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा.

(३) एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण महानगर क्षेत्र में कार्यात्मक विभागों और सार्वजनिक अभिकरणों द्वारा किए गए विभिन्न यातायात एवं परिवहन उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन और समन्वय सुनिश्चित करेगा.

(४) एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विशिष्ट यातायात और परिवहन विषयों के समाधान हेतु किसी विशेषज्ञ को समाविष्ट कर सकेगा.

(५) एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विशिष्ट यातायात और परिवहन विषयों हेतु उप-समूहों का गठन कर सकेगा.

एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण की शक्तियां एवं कृत्य.

२०. (१) एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण की शक्तियां और कर्तव्य निम्नानुसार होंगे:-

(एक) महानगर क्षेत्र में विभिन्न अभिकरणों द्वारा किए गए विभिन्न यातायात और परिवहन उपायों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना;

(दो) महानगर क्षेत्र में अपने स्थान पर प्रभावी परिवहन व्यवस्था को सुनिश्चित करना;

(तीन) विभिन्न विभागों द्वारा किए गए विभिन्न यातायात और परिवहन उपायों के प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना;

(चार) मुख्य/बड़ी यातायात और परिवहन परियोजनाओं को संप्रवर्तित तथा निगरानी करना;

(पांच) महानगर क्षेत्र के लिए प्रभावी रणनीति विचारपूर्वक तैयार करना तथा अनुशंसा करना;

(छह) विभिन्न विभागों और अभिकरणों की समस्त कार्य योजनाओं को एकीकृत तथा समेकित करना और महानगर क्षेत्र के लिए यातायात और परिवहन योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना;

(सात) यातायात और परिवहन नीतियों तथा उपायों को कार्यान्वित करने में अंतर्वलित विभिन्न अभिकरणों को निर्देश देना, जिसमें जनउपयोगी सेवाओं और सुविधाओं का स्थान परिवर्तन सम्मिलित है;

(आठ) प्रस्तावों के कार्यान्वयन हेतु निधियों के प्रसंस्करण की प्रक्रिया;

(नौ) सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न मार्गों, संयुक्त टिकटिंग का विषय, फीडर सेवाओं आदि का एकीकरण;

(दस) महानगर क्षेत्रों में किसी अभिकरणों से, समस्त यातायात और परिवहन प्रस्तावों और परियोजनाओं और समस्त नवाचार का अनुमोदन;

(ग्यारह) महानगर क्षेत्रों में यातायात और परिवहन योजनाओं और उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु, शासन के विभिन्न विभागों और अभिकरणों से निधियों के विनियोग या आर्थिक सहायता के लिए निर्देशित करना;

(२) संबंधित विभाग, परिवहन परियोजनाओं के प्रभावी समन्वय तथा कार्यान्वयन हेतु एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण की सिफारिशों का ध्यान रखेगा.

(३) एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण अधिमानतः तीन माह में एक बार बैठक आहूत करेगा.

(४) एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण को तकनीकी सहायक कर्मचारिवृंद और सचिवीय सहायक महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे.

(५) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण एक विस्तृत डाटाबेस तैयार करेगा और अपने डाटाबेस को अद्यतन करने हेतु आवश्यक यातायात और परिवहन सर्वेक्षण करेगा और उसे विभिन्न अध्ययनों तथा आम जनता को उपलब्ध भी कराएगा. डाटाबेस महानगर क्षेत्रों में विभिन्न यातायात तथा परिवहन आवश्यकताओं की निगरानी करने तथा समझने में सहायता करेगा. यह तकनीक अंतरण केन्द्र के रूप में कार्य करेगा और स्थानीय प्राधिकरणों का यातायात तथा परिवहन के क्षेत्र में अपने सभी तकनीकी सुझाव तथा योजनाओं हेतु मार्गदर्शन भी करेगा.

अध्याय-छह

विकास का संवर्धन और भूमि का उपयोग

महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की विकास की शक्तियां

२१. (१) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरणों की अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, महानगर क्षेत्र के भीतर आने वाले किसी क्षेत्र का विकास प्रारंभ कर सकेगा:

परन्तु यदि क्षेत्र विकास योजनाओं या परियोजनाओं में एक से अधिक नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरणों में विकास किया जाना अपेक्षित है, तब उस भूमि का विकास महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा.

(२) किसी क्षेत्र में महानगर विकास और निवेश योजना या किसी क्षेत्रीय विकास योजना के प्रचालन में आने के पश्चात्, कोई व्यक्ति या निकाय किसी भूमि का उपयोग नहीं करेगा और न ही कोई विकास कार्य करेगा, जब तक कि वह महानगर विकास और निवेश योजना, क्षेत्रीय विकास योजनाओं एवं अधिसूचित योजनाओं के अनुरूप न हो.

क्षेत्र विकास योजना.

२२. महानगर विकास और निवेश योजना की समग्र अनुरूपता के अधीन, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्र स्तरीय विकास योजना तैयार कर सकेगा, जो महानगर क्षेत्र के किसी सेक्टर या क्षेत्र के लिए परियोजनाओं या योजनाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे जाएं (नगर तथ ग्राम निवेश प्राधिकरणों की अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्र को छोड़कर)

क्षेत्र विकास योजना की स्वीकृति एवं उपांतरण.

२३. (१) धारा २२ के अधीन जैसे ही क्षेत्र विकास योजना का प्रारूप तैयार होता है, महानगर आयुक्त, उक्त योजना की एक सूचना, और स्थान, जहां उसकी प्रतियों का निरीक्षण किया जा सकेगा, जनता से ऐसे प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के भीतर लिखित में आपत्तियों और सुझाव आमंत्रित करते हुए, उस क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा.

(२) उपरोक्त समय अवधि की समाप्ति के पश्चात् महानगर आयुक्त या उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत कोई अधिकारी समस्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगा और उपांतरण करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदन के लिए महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा.

(३) उपरोक्त क्षेत्र विकास योजना के उपांतरण के लिए, उपधारा (१) और (२) के उपबंध लागू होंगे.

नगर विकास योजना.

२४. (१) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अपनी अधिकारिता के भीतर किसी नगर विकास योजना के विकास कार्य का स्वयं जिम्मा ले सकेगा अथवा किसी अन्य निकाय को ऐसी नगर विकास योजना का जिम्मा लेने हेतु अधिकृत कर सकेगा. ऐसी नगर विकास योजना महानगर विकास और निवेश योजना की अधोसंरचना तंत्र के अनुरूप होगी.

(२) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा ४९ से ६०, धारा ७८ की उपधारा (२), धारा ८५ की उपधारा (२) का खण्ड (तेरह) और धारा ८७ की उपधारा (३) के उपबंध इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

(३) महानगर आयुक्त इस योजना के संबंध में नगर तथा ग्राम निवेश के संचालक की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगा.

विकास अनुज्ञा की अनिवार्यता.

२५. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण से विकास अनुज्ञा प्राप्त किए बिना, क्षेत्र विकास योजना, जिसमें नगर विकास योजना भी सम्मिलित हैं, के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में, विकास नहीं किया जाएगा अथवा कार्यान्वित नहीं किया जाएगाः

निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी अनुज्ञा आवश्यक नहीं होगीः-

(एक) किसी भवन के अनुरक्षण, मरम्मत अथवा परिवर्तन के कार्य करने हेतु, जो भवन की बाह्य रूपरेखा में भौतिक परिवर्तन नहीं करता हो;

(दो) केन्द्रीय या राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन स्थापित कोई प्राधिकरण या अधिकारिता रखने वाला कोई स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी राजमार्ग, सड़क अथवा सार्वजनिक मार्ग के सुधार अथवा अनुरक्षण हेतु कार्य करने के लिए बशर्ते कि ऐसा सुधार या अनुरक्षण नगर विकास योजना या क्षेत्र विकास योजना के उपबंधों के प्रतिकूल मार्ग संरेक्षण को प्रभावित न करता हो;

(तीन) किसी जल निकासी, सीवर, मुख्य पाइप, केबल, टेलीफोन अथवा अन्य उपकरण के निरीक्षण, मरम्मत या नवीनीकरण के प्रयोजन हेतु कार्य, जिसमें किसी सड़क या अन्य भूमि को खोला जाना सम्मिलित हो;

(चार) कृषि हित में की गई खुदाई अथवा मिट्टी को आकार देने;

(पांच) भूमि को उसके सामान्य उपयोग हेतु पुनःस्थापित करना, जहां भूमि का अस्थायी रूप से किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया हो;

(छह) भवन या ऐसे भवन से संलग्न कोई अन्य भवन या भूमि का मानव निवास हेतु उपयोग, या अन्य आनुषंगिक प्रयोजन हेतु उपयोग.

(सात) केवल कृषि प्रयोजन हेतु भूमि तक पहुंच देने के लिए आशचित मार्ग के निर्माण हेतु.

संघ या राज्य सरकार की ओर से हाथ में लिया गया विकास कार्य.

२६. (१) जब केंद्र या राज्य सरकार किसी महानगर क्षेत्र की भूमि पर, (जो नगर तथा ग्राम निवेश संचालक के अधिकार क्षेत्र से बाहर है) इसके विभागों या कार्यालयों या प्राधिकरणों के उद्देश्यों के लिए विकास करना चाहती है, तो उसका संबंधित प्रभारी अधिकारी सरकार के ऐसा करने के आशय, उसकी समस्त विशिष्टयों को देते हुए, प्राकृतिक आपदा संभावित क्षेत्र के विकास नियंत्रण के संबंध में अधिनियमों, नियमों एवं विनियमों के उपबंधों के पालन में ऐसे दस्तावेजों सहित, जैसे कि विहित किए जाएं, ऐसे विकास के लिए जाने के कम से कम तीन दिवस के पूर्व महानगर आयुक्त को लिखित में सूचना देगा.

(२) यदि महानगर आयुक्त प्रस्तावित विकास पर यह आपत्ति करता है कि यह महानगर विकास एवं निवेश योजना के उपबंधों के अनुरूप नहीं है, तो संबंधित अधिकारी-

(एक) महानगर आयुक्त द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समाधान करते हुए विकास के लिए प्रस्तावों में आवश्यक उपांतरण करेगा; या

(दो) महानगर आयुक्त द्वारा उठाई गई आपत्तियों के साथ विकास हेतु प्रस्ताव विनिश्चय हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा:

परंतु यदि महानगर आयुक्त प्रस्तावित विकास योजना प्राप्त होने की तिथि से तीस दिन के भीतर कोई आपत्ति नहीं करता, तो माना जाएगा कि योजना उस सीमा तक अनुमोदित है, जिस सीमा तक महानगर विकास एवं निवेश योजना, क्षेत्र विकास योजना, नगर विकास स्कीम के उपबंधो या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या लागू किसी अन्य अधिनियमों का उल्लंघन नहीं करती हो.

(३) सरकार, विकास के लिए प्रस्तावों के साथ महानगर आयुक्त द्वारा ली गई आपतियों की प्राप्ति पर प्रस्ताव को उपांतरणों सहित या उसके बिना अनुमोदित या करेगा, प्रस्तावों में ऐसे उपांतरण करने हेतु अधिकारी को निर्देश देगा जैसा कि परिस्थियों अनुसार समझे.

(४) उपधारा (३) के अधीन राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

(५) सरकार अधिसूचना द्वारा, केंद्र या राज्य सरकार की ओर से की गई किसी परियोजना अथवा परिचालन निर्माण के प्रयोजन हेतु जैसा कि इसमें विर्निष्ट किया जाए किसी भूमि के विकास को इस धारा के कार्यान्वयन से मुक्त कर सकेगी.

स्थानीय प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम के अधीन गठित किसी प्राधिकरण द्वारा किया गया विकास कार्य.

२७. जहां कोई स्थानीय निकाय या इस अधिनियम के अधीन विशेष रूप से गठित कोई प्राधिकरण किसी भूमि पर उस प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए विकास करना चाहता है, तो वहां धारा २६ के अधीन केंद्र या राज्य सरकार के लिए लागू प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे प्राधिकरण के सबंध में लागू होगी.

अन्य व्यक्तियों द्वारा विकास की अनुज्ञा हेतु आवेदन.

२८. (१) कोई भी व्यक्ति, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण नहीं है, यदि वह नगर विकास स्कीम एवं क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आने वाली किसी भूमि पर विकास करने का आशय रखता हो, तो वह महानगर आयुक्त को अनुजा के लिए निर्धारित प्रपत्र में तथा ऐसी विशिष्टयों अंतर्विष्ट होगी और जिसके साथ ऐसा दस्तावेज ऐसे प्राकृतिक आपदा संभावित क्षेत्र जो विहित किये जाये के लिये विकास, नियंत्रण के संबंधी अधिनियमों, नियमों एवं विनियमों के उपविधियों के पालन में लिखित रूप में आवेदन करेगा.

(२) ऐसे आवेदन के साथ ऐसा शुल्क भी होगा जैसी कि विहित की जाए संलग्न करना होगा.

(३) धारा २६ के अधीन दी गई अनुज्ञा के उपांतरण हेतु, आवेदन, यदि पहले से ही समाप्त नहीं हुआ है, महानगरीय आयुक्त को किया जाएगा और यह ऐसे ब्यौरे, प्रतिवेदनों और ऐसे शुल्क के साथ, अंतर्विष्ट होगा जैसा कि विहित किया जाए.

अनुज्ञा का स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाना.

२९. (१) धारा २८ के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, महानगरीय आयुक्त इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, लिखित में आदेश द्वारा:-

(एक) अनुमति बिना शर्त प्रदान कर सकेगा;

(दो) परिस्थितियों के अनुसार ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसा कि समझी जाएं अनुमति प्रदान कर सकेगा;

(तीन) अनुमति अस्वीकृत कर सकेगा :

परंतु, धारा २८ की उपधारा (३) के अंतर्गत आवेदन की दशा में, महानगरीय आयुक्त तब तक उपरोक्त खण्ड (क) या (ख) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं करेंगे, जब तक प्रस्तावित उपांतरण में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को नहीं सुना जाता और भूमि अथवा भवन में उत्पन्न बाधाओं पर विचार नहीं कर लिया जाता. हित या बाधाएं जिन पर विचार किया जा सकता है, ऐसे विचार के लिये, रीति जिसमें बाधाएं, यदि कोई हों तो, निवारित की जाएं और प्ररूप या आदेश ऐसा होगा जैसा कि विहत किया जाए.

(२) अनुजा अस्वीकृत करने का प्रत्येक आदेश उसके कारणों सहित होगा.

(३) दी गई अनुज्ञा, शर्तों सहित या बिना शर्त के, ऐसी रीति में होगी, जैसा कि विहित की जाएं.

(४) प्रत्येक आदेश को ऐसी रीति में आवेदक को सूचित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए.

(५) यदि आवेदन प्राप्ति की तिथि से साठ दिन की अवधि में महानगर आयुक्त अनुज्ञा प्रदान करने या अस्वीकार करने का विनिश्चय नहीं करता है, तो साठ दिवस के अवसान के तुरन्त बाद की तारीख को यह माना जाएगा कि अनुज्ञा स्वीकृत हो गई है, सिवाय इसके कि वह किसी नियम या विनियम या इस अधिनियम के अधीन अनुमोदित नगर विकास स्कीम या क्षेत्र विकास योजना तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम का उल्लंघन करता हो:

परंतु, साठ दिन की गणना में, यदि किसी सूचना या दस्तावेज हेतु अतिरिक्त जानकारी मांगी गई हो, तो उस अनुरोध की तिथि से उत्तर प्राप्ति की तिथि तक की अवधि को गणना से बाहर रखा जाएगा.

अपील.

३०. (१) कोई भी आवेदक, जो धारा २९ या ३३ के अधीन शर्तों पर दी गई अनुज्ञा से या अनुज्ञा न दिए जाने से व्यथित है, आदेश की सूचना प्राप्ति की तिथि से तीस दिवस के भीतर, ऐसे प्राधिकारी को ऐसी रीति में तथा ऐसी शुल्क के साथ जैसी कि विहित की जाए, अपील प्रस्तुत कर सकेगा.

(२) अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्ता एवं महानगर आयुक्त को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा, अपील को खारिज कर सकेगा, या बिना शर्त अथवा यथा उपांतरित शर्तों के अधीन अनुजा प्रदान कर अपील स्वीकार कर सकेगा.

(३) धारा ३१ के उपबंधों के अध्यधीन, अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा.

पुनरीक्षण.

३१. सरकार, किसी भी समय, परंतु अपीलीय प्राधिकरण द्वारा धारा ३० के अधीन आदेश पारित किए जाने की तिथि से बारह मास की अवधि से अधिक नहीं, अपनी स्वप्रेरणा से या उस व्यक्ति द्वारा, जो अपीलीय प्राधिकरण के आदेश से व्यथित हुआ हो, आदेश की उसे संसूचना की तारीख से तीस दिवस के भीतर प्रस्तुत आवेदन पर, महानगर आयुक्त द्वारा धारा २९ या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा धारा ३० के अधीन निस्तारित किसी प्रकरण का अभिलेख मंगा सकेगी और यह सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण कर सकेगी कि आदेश विधिसम्मत है या नहीं एवं महानगर आयुक्त अथवा अपीलीय प्राधिकरण की कार्यवाही विधिवत् हुई है या नहीं, और जब वह ऐसा अभिलेख मंगवाए तो आदेश के निष्पादन को निलम्बित करने का निर्देश दे सकेगी. सरकार, अभिलेख परीक्षण के पश्चात, ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसा कि उसे उपयुक्त प्रतीत हो और उसका आदेश अंतिम होगा तथा उस पर पुनरीक्षण या पुनर्विचार का कोई अन्य आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा:

परंतु ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति एवं महानगर आयुक्त को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो.

अनुज्ञा का व्यपगत होना.

३२. धारा २९, ३० अथवा ३१ के अधीन प्रदत्त प्रत्येक अनुजा ऐसे प्रदान किए जाने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक प्रभावशील रहेगी, तत्पश्चात् वह व्यपगत हो जाएगी. फिर भी महानगर आयुक्त, आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसी अवधि को वर्ष दर वर्ष बढ़ा सकेगा, परंतु कुल अवधि प्रारंभिक अनुज्ञा की तिथि से पाँच वर्षों से अधिक नहीं होगी:

परन्तु ऐसा व्यपगत होना इस अधिनियम के अधीन नवीन अनुज्ञा हेतु पश्चातवर्ती आवेदन का वर्जन नहीं करेगी:

परन्तु यह और कि, अधिनियम की धारा २९ के अधीन दी गई अनुज्ञा की वैधता अवधि के दौरान परियोजना के क्रियान्वयन प्रारम्भ होने की दशा में अनुज्ञा उसके पश्चात् किसी भी समय व्यपगत नहीं मानी जाएगी और पुर्नविधिमान्यकरण आवश्यक नहीं होगा.

अनुज्ञा का प्रतिसंहृत किया जाना.

३३. महानगर आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन जारी किसी विकास अनुज्ञा को प्रतिसंहृत कर सकेगा, जब यह पाया जाता है कि वह किसी असत्य कथन या किसी महत्वपूर्ण तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त की गई थी या अनुज्ञा में आरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया है या अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया गया है, परंतु ऐसा करने से पूर्व वह ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जैसी कि विहित की जाए.

विकास या निर्माण के दौरान विचलन एवं अनाधिकृत विकास के विरुद्ध कार्रवाई.

३४. (१) यदि किसी विकास या निर्माण कार्य के निष्पादन के दौरान, प्रदत्त विकास अनुज्ञा से कोई विचलन किया जाता है, तो स्वामी को धारा २८ में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी.

(२) यदि कोई विकास या निर्माण स्वामी, बिल्डर या डेवलपर द्वारा बिना अनुमोदन के या महानगर विकास एवं निवेश योजना, नगर विकास योजना, क्षेत्र विकास स्कीम या किसी नियम, विनियम और आदेश के उल्लंघन में किया जाता है, तो संबंधित स्थानीय या सक्षम प्राधिकारी प्रासंगिक विधियों के उपबंधों के अनुसार तत्काल आवश्यक कदम उठाएगा.

(३) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण संबंधित स्थानीय या सक्षम प्राधिकरण को ऐसे अनाधिकृत विकास या निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देश दे सकेगा और उक्त प्राधिकारी को तदनुसार कार्रवाई करनी होगी.

व्यतिक्रम की दशा में महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की शक्ति.

३५. (१) यदि महानगर विकास प्राधिकारी, जांच करने के पश्चात् या अपने किसी अधिकारी की रिपोर्ट या उपलब्ध अन्य जानकारी के आधार पर संतुष्ट होता है कि किसी भूमि, ले आउट या कालोनी में कोई ऐसी सुविधा लेआउट या कालोनी में उपलब्ध नहीं कराई गई है जो महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकारी की राय में उपलब्ध कराई जानी है, या वह विकास कार्य नहीं किया गया है जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा, अनुमोदन या स्वीकृति प्राप्त की गई है, तो वह ऐसी भूमि के स्वामी से या उसके हित बाद उत्तराधिकारी से या सुविधा प्रदान करने या सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को नोटिस देकर ऐसी अवधि में सुविधा उपलब्ध कराने अथवा विकास कार्य कराने हेतु नोटिस दे सकेगा जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए.

(२) यदि नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि में सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती या विकास कार्य नहीं किया जाता है, तो महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्वयं वह सुविधा उपलब्ध करा सकेगा, विकास करा सकेगा अथवा ऐसी एजेन्सी से, जैसा वह उचित समझे, विकास कार्य करवा सकेगा और इस कार्य में हुए सभी व्यय तथा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दण्ड राशि को उक्त भूमि के स्वामी से या उसके हित उत्तराधिकार से या सुविधा प्रदान करने वाले या सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल किया जा सकेगा और मांग नोटिस के अनुसार भुगतान प्रदान करने में असफल रहने की दशा में उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा.

(३) यदि महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकारी जांच के पश्चात् या किसी अधिकारी की रिपोर्ट अथवा अन्य जानकारी के आधार पर संतुष्ट होता है कि संबंधित स्थानीय प्राधिकरण, कार्यकारी विभाग अथवा एजेंसी द्वारा नगर विकास स्कीम या क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु दिए गए समय में आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई है, तो वह संबंधित प्रशासनिक विभाग को कार्य पूर्ण करने की सूचना दे सकेगा.

अध्याय-सात

भूमि का अर्जन, अधिग्रहण, संकलन एवं निपटान

भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, २०१३ (३० का २०१३) के अधीन भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति.

३६. महानगर विकास एवं निवेश योजना, नगर विकास स्कीम या क्षेत्र विकास योजना में अपेक्षित, आरक्षित या चिन्हित कोई भी भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, २०१३ (३० का २०१३) की परिधि में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक मानी जाएगी और उसे सरकार द्वारा महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी के अनुरोध पर अर्जित किया जा सकेगा.

शासकीय भूमि का महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को अंतरण.

३७. सरकार, आदेश द्वारा तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो सरकार एवं महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के मध्य सहमति से निर्धारित हों, किसी भी विकसित या अविकसित शासकीय भूमि को जो महानगर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में हो अथवा राज्य की भूमि बैंक में हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विकास के प्रयोजन हेतु महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को सौंप सकेगी.

वार्ता आधारित समझौते द्वारा भूमि का अर्जन.

३८. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, वार्ता आधारित समझौते के माध्यम से तथा तयशुदा राशि का भुगतान कर ऐसी रीति में जैसा कि इन विनियमों के अधीन विहित की जाए भूमि का अधिग्रहण कर सकेगा.

हस्तांतरणीय विकास अधिकार के माध्यम से भूमि का अर्जन.

३९. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, स्वामी की सहमति से, सार्वजनिक प्रयोजन हेतु हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, २०१८ में यथा विहित भूमि के मूल्य के बदले में हस्तातंरणीय विकास अधिकारी के माध्यम से विकास अधिकार प्रमाण-पत्र जारी कर भूमि अधिग्रहण कर सकेगा.

महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि एवं अन्य संपत्तियों का निपटान.

४०. राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित एवं महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित की गई भूमि, चाहे वह विकसित हो या अविकसित, अथवा महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्वामित्व वाली अन्य अचल संपत्तियों का निपटान यथा विहित तरीके से किया जाएगा.

भूमि बैंक की स्थापना एवं प्रबंधन.

४१. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण एक महानगरीय भूमि बैंक की स्थापना और संधारण करेगा, जिसमें सभी अधिग्रहीत, आवंटित, क्रय की गई या प्राप्त की गई भूमि आदि की निगरानी और संधारण किया जाएगा तथा समय-समय पर स्थिति का पुनर्विलोकन किया जाएगा.

अध्याय-आठ

वित्त, लेखा, बजट और लेखा परीक्षा

महानगर विकास निधि का सृजन.

४२. (१) सरकार इस अधिनियम के प्रशासकीय कार्यों के प्रयोजन के लिए २०० करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूँजी से एक महानगर विकास निधि का सृजन करेगी.

(२) सरकार इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निष्पादन के प्रयोजन हेतु महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए १०० करोड़ रुपये की एक निधि का सृजन करेगी और स्थानीय निकायों की योजनाओं और कार्यक्रमों के आधार पर योजनागत कार्यक्रमों के अनुसार सुख-सुविधाओं और अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु वित्त का आवंटन करेगी.

महानगर विकास निधि और उसका अनुप्रयोग.

४३. (१) महानगर विकास प्राधिकरण महानगर विकास निधि का प्रबंधन और संचालन करेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे :-

(एक) राज्य सरकार से परिक्रामी निधि, अनुदान, ऋण, अग्रिम या अन्यथा के माध्यम से प्राप्त समस्त धनराशि;

(दो) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा ऋण या बांड के माध्यम से या किसी अन्य स्रोत से किसी भी रीति में उधार ली गई समस्त धनराशि;

(तीन) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि, भवन और अन्य चल एवं अचल संपत्तियों के निपटान से प्राप्त समस्त धनराशि;

(चार) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अंतर्गत प्राप्त समस्त विकास प्रभार या अन्य प्रभार, शुल्क;

(पांच) सरकार द्वारा यथा अवधारित स्थानीय प्राधिकरण से अभिदान;

(छह) सरकार द्वारा यथा अवधारित नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकरण (ओं) के शुद्ध लाभ के अंश से अभिदान;

(सात) किराए या अन्य किसी प्रकार से और अपनी परिसंपत्तियों के निपटान द्वारा लाभकारी परियोजनाओं और योजनाओं से अर्जित समस्त धनराशि;

(आठ) नगर विकास योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित परियोजनाओं से प्राप्त धनराशि;

(नौ) उपयोगकर्ता प्रभार के माध्यम से प्राप्त धनराशि;

(दस) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा अपने कृत्यों के निष्पादन हेतु किसी अन्य स्त्रोतों से प्राप्त कोई अन्य धनराशि.

(२) महानगर विकास निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा :-

(एक) इस अधिनियम के प्रशासन में किया गया व्यय, जिसे एक पृथक खाते में रखा जाएगा;

(दो) नियोजित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा नगर विकास योजनाओं और विकास योजनाओं के अंतर्गत उल्लिखित भूमि अधिग्रहण और क्षेत्रों की लागत;

(तीन) महानगर विकास और निवेश योजना तैयार करने, सर्वेक्षण करने, अध्ययन, निवेश योजनाएं बनाने और परियोजनाओं एवं योजनाओं के निष्पादन के संबंध में महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया कोई भी व्यय;

(चार) अधिनियम के अधीन अपेक्षित निक्षेप निधि और अन्य पृथक खातों का रख रखाव; और

(पांच) इस अधिनियम से असंगत, ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया व्यय.

(३) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ऋणों और उधार ली गई धनराशि के पुनर्भुगतान के लिए एक निक्षेप निधि बनाए रखेगा और प्रत्येक वर्ष निक्षेप निधि में उतनी राशि जमा करेगा जितनी कि नियत अवधि के भीतर उधार ली गई समस्त धनराशियों के पुनर्भुगतान के लिए पर्याप्त हो.

(४) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इस अधिनियम के समस्त या किसी भी प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या कोई व्यक्ति या निकाय चाहे निगमित हो अथवा नहीं, ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर जैसी परस्पर सहमति हो, अनुदान, आर्थिक सहायता, दान और उपहार स्वीकार कर सकेगा.

(५) इस धारा के अधीन जारी किए गए ऋणों और बंधपत्रों पर सरकार द्वारा मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान के संबंध में, ऐसी दर पर, जैसी की अनुबंधित हो, प्रत्याभूति दी जा सकेगी.

पूंजीगत अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए विशिष्ट उपकर/शुल्क उद्ग्रहित करने की शक्ति.

४४. सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विशिष्ट पूंजीगत अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर, जैसी कि राज्य सरकार विहित करे, विशिष्ट उपकर/शुल्क लगा सकेगी.

महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का बजट.

४५. (१)महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में, प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जैसा कि विहित किया जाए, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए, एक बजट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा, जैसा कि विहित किया जाए.

(२)महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लेखाओं की वार्षिक लेखापरीक्षा ऐसे व्यक्ति के अध्यधीन होगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए. ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में किया गया कोई भी व्यय महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा.

(३)इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लेखाओं को, उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्रतिवर्ष राज्य सरकार को भेजा जाएगा और राज्य सरकार उसकी एक प्रति राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करवाएगी.

वार्षिक योजना एवं प्रतिवेदन.

४६. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण उस वर्ष के दौरान होने वाले कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की एक वार्षिक योजना एवं प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष तैयार करेगा तथा वार्षिक योजना तथा प्रतिवेदन राज्य सरकार को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी तारीख को या उससे पूर्व जैसी की विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा.

अध्याय-नौ
विकास प्रभार और उपयोगकर्ता शुल्क का उद्ग्रहण, मूल्यांकन और वसूली

विकास प्रभार का उदग्रहण.

४७. (१) इस अधिनियम और उसके अधीन उद्ग्रहण के लिए बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण प्रभार उद्ग्रहीत करेगा, जिसे इसमें इसके पश्चात् भूमि या भवन या दोनों के किसी विकास के लिए विकास प्रभार कहा जाएगा.

(२) विकास प्रभार की दरें, उनके निर्धारण और वसूली की रीति ऐसी होगी, जैसी कि विहित की जाए.

(३) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संघ या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण या इस अधिनियम के अधीन सृजित किसी प्राधिकरण की ओर से किए गए किसी विकास के मामले में कोई भी विकास प्रभार उद्ग्रहणीय नहीं होगा.

विकास प्रभार का निर्धारण और वसूली.

४८. (१) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विकास अनुज्ञा के लिए प्राप्त किसी आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् या यदि ऐसा कोई आवेदन नहीं किया जाता है, तो ऐसे भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को एक सूचना तामील करेगा, जिसमें लिखित रूप में उद्ग्रहणीय विकास प्रभार तथा भुगतान की जाने वाली नियत तारीख तथा ब्याज की सूचना दी जाएगी, जैसा कि विहित किया जाए.

(२) किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भूमि और/या भवन के संबंध में देय विकास प्रभार ऐसी भूमि और/या भवन पर प्रथम प्रभार होगा, इन शर्तों के अध्यधीन की उपयोग या गतिविधि या परिवर्धन या विस्तार में कोई परिवर्तन न किया हो, और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो, नए विकास प्रभार लागू होंगे.

(३) किसी भूमि और/या भवन के संबंध में देय विकास प्रभार उस पर, वसूल किए जाने की तारीख तक के देय ब्याज सहित, ऐसे व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारी से ऐसी भूमि और/या भवन पर भू-राजस्व के बकाया राशि के रूप में वसूल किया जा सकेगा.

(४) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण चरणबद्ध विकास के मामले में, विकास प्रभार को चरणबद्ध रीति में माफ करने की अनुमति दे सकेगा.

(५) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण विकास प्रभार को किश्तों में भुगतान करने की अनुमति दे सकेगा, उस मामले में उपधारा (१) में यथा वर्णित ब्याज लागू होगा.

उपयोगकर्ता प्रभारों का उद्ग्रहण.

४९. (१) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई उपयोगिताओं, सुख-सुविधाओं, सेवाओं या सुविधाओं के उपबंध के लिए, किया गया या किया जाने वाला वाले पूंजीगत व्यय पूर्णतः या आंशिक रूप से वसूली के लिए, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उपयोगकर्ताओं से प्रभार उद्ग्रहीत और एकत्र कर सकेगा, जिसे इसमें इसके पश्चात् उपयोगकर्ता प्रभार कहा जाएगा.

(२) उद्ग्रहीत किए जाने वाले उपयोगकर्ता प्रभार की राशि और उसके निर्धारण की रीति ऐसी होगी, जैसी कि विहित की जाए.

(३) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ऐसे निबंधन और शर्तों पर, जिन पर सहमति हो, अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी उपयोगिता, सुख-सुविधा, सेवा या सुविधा को उपलब्ध कराने और बनाए रखने का कार्य, किसी व्यक्ति या विकासकर्ता या अभिकरण जिसमें व्यक्तियों का संघ या निकाय भी सम्मिलित है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, को सौंप सकेगा और ऐसे लाभार्थियों से ऐसे उपयोगकर्ता प्रभार एकत्र करने की अनुमति दे सकेगा, जो ऐसे निबंधन और शर्तों के अध्यधीन होगी, जैसी कि विहित की जाए.

(४) धारा ४७ के उपरोक्त उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस धारा पर लागू होंगे.

बकाया की वसूली.

५०. महानगर क्षेत्र को देय कोई राशि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम या आदेश के उपबंधों के अधीन उस भू-खण्ड या भूमि जिस पर वह देय है, पर प्रथम प्रभार होगी और यदि मांग किए जाने पर उस दिवस जिस दिवस वह देय हो या महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा नियत दिवस पर उसका भुगतान नहीं किया जाता है, तब वह देय महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी.

अध्याय-दस
नियंत्रण

शासन द्वारा निर्देश.

५१. (१) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, लोकहित से संबंधित नीतिगत मामलों में ऐसे निर्देशों द्वारा निर्देशित होगा, जैसे कि सरकार द्वारा उसे लिखित रूप में दिए जाएं.

(२) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा कोई निर्देश लोकहित से संबंधित किसी नीतिगत मामले से संबंधित है, तो उस पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा.

(३) सरकार, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु किए जाने वाले कार्यों को सुगम बनाने के लिए निर्देश जारी कर सकेगी या आदेशों के माध्यम से विहित कर सकेगी.

(४) सरकार, किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या उसे इस निमित्त किए गए आवेदन पर, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा निपटाए गए किसी मामले या पारित आदेश के अभिलेखों को, पारित किसी आदेश या जारी किए गए निर्देश की वैधता या औचित्य या शुद्धता के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकेगी और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी या ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जैसा वह उचित समझे:

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति या निकाय को सुनवाई का अवसर दिए बिना, उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश पारित नहीं करेगी.

विवरणियां और जानकारी.

५२. (१) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण सरकार को ऐसे प्रतिवेदन, विवरणियां, अभिलेख और अन्य जानकारियां उपलब्ध कराएगा, जैसी कि सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाएं.

(२)सरकार, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण या किसी जिम्मेदार सार्वजनिक अभिकरण से निम्नलिखित के संबंध में प्रतिवेदन, विवरणियां, अभिलेख और अन्य जानकारी मंगा सकेगी:-

(एक) महानगर विकास एवं निवेश योजना, नगर विकास योजना या क्षेत्र विकास योजना की तैयारी;

(दो) वैधानिक योजना, स्कीम या कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना या अथवा इस संबंध में किसी अधिकारी को प्राधिकृत करना;

(तीन) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी यह सुनिश्चित करने हेतु सहायकों या कर्मकारों के साथ अथवा उनके बिना यह जांचने हेतु किसी भूमि में प्रवेश कर सकता है कि महानगर विकास एवं निवेश योजना, नगर विकास योजना, क्षेत्र विकास योजना आदि के उपबंधों का कार्यान्वयन किया जा रहा है या किया गया है अथवा विकास कार्य ऐसी योजना या अनुमति अथवा आदेश के अनुसार किया जा रहा है या किया गया है.

(३) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण उपर्युक्त पहलुओं के संदर्भ में ऐसे निर्देशों, दिशानिर्देशों या अनुदेशों का पालन करेगा जैसे कि राज्य सरकार द्वारा दिए जाएं.

अध्याय-ग्यारह

विविध तथा अनुपूरक उपबंध

प्रवेश का अधिकार एवं सरेखन का एवं सीमांकन की शक्ति.

५३. (१) महानगरीय आयुक्त किसी व्यक्ति को निम्नलिखित प्रयोजन हेतु सहायता अथवा श्रमिकों के साथ या बिना किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने हेतु अधिकृत कर सकता है :-

(एक) ऐसी भूमि या भवन की जांच, निरीक्षण, माप या सर्वेक्षण या स्तर लेना;

(दो) निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण करना और सार्वजनिक सुविधाओं एवं नालियों की दिशा सुनिश्चित करना;

(तीन) उप-मृदा में खुदाई या छिद्रण करना;

(चार) सड़कों, सार्वजनिक सुविधाओं एवं अन्य कार्यों की आशयित सीमाओं का निर्धारण करना और सीमांकन करना;

(पांच) चिह्न लगाकर या खाई खोदकर ऐसे स्तर, सीमांकन, चिह्नांकन और रेखांकन करना;

(छह) यह सुनिश्चित करना कि कोई भूमि या संपत्ति महानगर विकास एवं निवेश योजना, नगर विकास स्कीम, क्षेत्र विकास योजना, सड़क सार्वजनिक सुविधाओं, संरेक्षण आदि से प्रभावित हो रही है या नहीं;

(सात) सड़कों के नए संरेखण, सड़क चौड़ीकरण, नए संचार नेटवर्क या सेवाओं हेतु भूमि पर कार्य करना;

(आठ) यह सुनिश्चित करना कि कोई भूमि या संपत्ति का विकास अनुमति के अनुसार अथवा इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में विकास किया जा रहा है, या किया गया है या उन शर्तों जिनके अध्यधीन अनुमति विकास अनुमति जारी की गई है, का पालन किया जा रहा है या किया गया है; और

(नौ) महानगर विकास एवं निवेश योजना, नगर विकास स्कीम, क्षेत्र विकास योजना या इस अधिनियम के प्रभावी प्रशासन हेतु अन्य उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कोई भी अन्य कार्य करना :

परन्तु.-

(एक) आवासीय भवन के रूप में प्रयुक्त कोई भवन या उससे संलग्न बाग के हिस्से में प्रवेश केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के अलावा नहीं किया जाएगा या उसके अधिभोगी को कम से कम २४ घंटे पूर्व प्रवेश करने के आशय की लिखित सूचना दिए बिना प्रवेश नहीं किया जाएगा;

(दो) भूमि के स्वामी के विकास अधिकार इन कार्यों या उक्त नेटवर्क के भूमिगत करने से प्रभावित नहीं होंगे;

(तीन) जहां तक कि उस प्रायोजन की जिसके कि लिए प्रवेश किया जा रहा है, आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके, भूमि या भवन या उस संपत्ति, जिसमें कि प्रवेश या सर्वेक्षण या सीमांकन किया गया है, में रहने वाले अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं का यथासंभव सम्मान किया जाएगा ;

(चार) प्रत्येक अवसर पर महिलाओं को, यदि कोई हों, तो ऐसी भूमि, भवन या संपत्ति से हटने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाएगा.

(२) कोई व्यक्ति यदि इस धारा के अधीन अधिकृत अधिकारी के प्रवेश किसी भूमि अथवा भवन में प्रवेश में बाधा उत्पन्न करता है या ऐसे प्रवेश के पश्चात ऐसे अधिकारी को परेशान करता है, तो दोषसिद्धी पर जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा.

प्रत्यायोजन की शक्ति.

५४. (१) महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण, संकल्प द्वारा, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली कोई भी शक्ति प्राधिकरण या अधिकारी को, निर्धारित शर्तों सहित प्रत्यायोजित कर सकेगा.

(२) सरकार, अधिसूचना द्वारा, सरकार या महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अथवा महानगर आयुक्त द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति नियम या विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर का किसी स्थानीय निकाय, सरकारी अधिकारी या अन्य निकाय द्वारा ऐसी दशा में तथा ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि विहित किया जाए, प्रयोग किया जा सकेगा.

इस अधिनियम के उपबंधों का अध्यारोही प्रभाव होगा.

५५. इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६), मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१), मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४), मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन अधिनियम, २०१३ (क्रमांक २४ सन् २०१३) अथवा किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी भी असंगत बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध अभिभाव होंगें.

पूर्व से तैयार एवं स्वीकृत योजनाएं.

५६. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन १९७३) के अधीन कोई विकास योजना, नगर विकास योजना, जोनिंग योजना, मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) या मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन नगर निवेश योजना, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) के अधीन विकास योजना और किसी क्षेत्र के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व शासन द्वारा स्वीकृत स्थानीय प्राधिकरण की कोई अन्य योजना, जो अब संपूर्ण महानगर क्षेत्र का भाग बन चुकी है, प्रवृत्त बनी रहेगी.

महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की निर्देश देने की शक्ति.

५७. (१) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य विभाग या प्राधिकरण या व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन वित्त पोषित किसी विकास परियोजना या योजना या इस अधिनियम के अधीन अनुमोदित विकास या सड़कों का सीमांकन, सुविधाओं हेतु मार्ग का अधिकार स्थानों की तारबंदी सुविधा (खुले), आरक्षण इत्यादि के क्रियान्वयन के संबंध में ऐसे निर्देश दे सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे और कोई ऐसा प्राधिकरण या व्यक्ति ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा.

(२) यदि कोई निकाय जिसे यह जारी किया गया है, ऐसे किसी निर्देश का पालन नहीं करता है, तो प्राधिकरण ऊपर उपधारा (१) के अधीन जारी निदेशों को पूरा करने के लिये आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सक्षम होगा और उसके लिए उपगत व्यय, यदि कोई हो, की वसूली, संबंधित निकाय से करेगा.

नियम बनाने की शक्ति.

५८. (१) सरकार, स्वप्रेरणा से या महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अनुरोध पर, अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन और इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु नियम बना सकेगी.

(२) विशिष्ट रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(एक) सदस्यों व कर्मचारिवृंद का कार्यकाल, उनके भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें, बैठकें आहुत एवं आयोजित करना,

कारबार का संचालक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महानगर आयुक्त की शक्तियाँ एवं कार्य;

(दो) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक सदस्यों और अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन, भत्ते, कार्य विवरण, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व;

(तीन) महानगरीय विकास एवं निवेश योजना, क्षेत्र विकास योजना की तैयारी, प्रकाशन प्रस्तुति एवं अनुमोदन तथा ऐसी किसी योजना से संबंधित प्रारुप में आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना के प्रकाशन की रीति के संबंध में की जाने वाली प्रक्रिया;

(चार) सांविधिक विकास योजना में उपांतरण प्ररूप, रीति एवं प्रक्रिया, शुल्क का भुगतान एवं ऐसे उपांतरण के लिए परिवर्तन प्रभार की दरें;

(पांच) महानगर भूमि बैंक का रखरखाव का प्रारुप एवं रीति, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को सरकारी भूमियों का सौपा जाना एवं महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष अधिग्रहण हेतु भूमियों की मांग;

(छह) भूमि तथा भवनों हेतु विकास प्रभार के निर्धारण, उदग्रहण एवं संग्रहण के लिए प्रक्रिया, विकास प्रभार की दर और संगणना तथा निर्धारण;

(सात) महानगर क्षेत्र विकास योजना के महानगर आयुक्त, सदस्य शहरी योजना, सदस्य अभियांत्रिकी, सदस्य पर्यावरण, सदस्य सम्पदा, सचिव एवं सदस्य वित्त के कर्तव्य और दायित्व तथा शक्तियाँ;

(आठ) महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा कार्यपालिका समिति के कृत्य और बैठकों का संचालन और शक्तियों तथा कृत्यों से संबंधित कोई अन्य विषय;

(नौ) अन्य कोई विषय जो नियम द्वारा बनाया जाना हो या बनाया जाए.

विनियम बनाने की शक्ति.

५९. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, समय-समय पर, इस अधिनियम के अधीन विनियम द्वारा उपबंधित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए और सामान्यत समस्त विषयों के लिये, जो प्राधिकरण की राय में, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो, इस अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से अनअसंगत विनियम बना सकेगा.

विकास योजनाओं का महानगर विकास एवं निवेश योजना के अनुरूप होना.

६०. स्वीकृत महानगर विकास एवं निवेश योजना के लागू होने पर तथा उसके बाद से, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम), १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन बनाई गई सभी विकास योजनाएं तत्पश्चात् महानगर विकास तथा निवेश योजना के अनुरूप होंगी.

क्षतिपूर्ति.

६१. महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के किसी सदस्य, या किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी अथवा इस अधिनियम के अधीन गठित समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध, इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्व किए गए किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी.

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ के अंतर्गत कृत्यों का प्रतिषिद्ध न होना.

६२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात सरकार, संचालक या किसी नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकरण को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) में यथा उल्लिखित कृत्यों के निर्वहन से नहीं रोकेगी.

कठिनाइयां को दूर करने की शक्ति.

६३. यदि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों से अनअसंगत निर्देश जारी कर सकेगी, जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों.

प्राधिकरण का विघटन.

६४. (१) – जहां सरकार का यह समाधान हो गया है कि उन प्रयोजनों जिनके लिए प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया था, पर्याप्त रूप से पूरे हो चुके हैं या प्राधिकरण अपने उद्देश्यों में असफल रहे हैं, जिससे प्राधिकरण का अस्तित्व बनाए रखना अनावश्यक हो गया है, वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि प्राधिकरण, ऐसी तारीख से जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए विघटित हो जाएगा और प्राधिकरण तद्नुसार विघटित समझा जाए.

(२) उक्त तारीख से-

(एक) प्राधिकरण में निहित या प्राप्त सभी संपत्तियां, निधियां एवं देयताएं सरकार में निहित हो जाएंगी या उसके द्वारा प्राप्त होंगी;

(दो) प्राधिकरण के विरुद्ध प्रवर्तनीय सभी दायित्व सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे;

(तीन) प्राधिकरण द्वारा किसी विकास को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से, जिसे कार्यान्वित किया गया हो, और खण्ड (एक) में निर्दिष्ट संपत्तियों, निधियों एवं देयताओं की प्राप्ति के प्रयोजन से, प्राधिकरण के कृत्यों का निर्वहन सरकार द्वारा किया जाएगा.

(३) इस धारा की कोई बात इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण का पुनर्गठन करने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

तेजी से नगरीकरण के कारण बड़े नगरों के चारों ओर अव्यवस्थित विकास हो रहा है इस चुनौती के समाधान के लिए, भारत के संविधान के ७४वें संशोधन के अनुसार महानगर क्षेत्र के रूप में इसके विकास हेतु, क्षेत्र के समग्र विकास की आवश्यकता है और वर्तमान में मध्यप्रदेश में महानगर क्षेत्र योजना से संबंधित अधिनियमिति का अभाव है. महानगर क्षेत्र के इन चुनौतियों का सामना करने के लिए और महानगर क्षेत्र के समग्र एवं नियोजित विकास के लिए यह अधिनियमिति प्रस्तावित है.

२. यह अधिनियम, महानगर क्षेत्र को क्षेत्रीय योजना एवं विकास के लिए, योजना सूत्रीकरण के लिए महानगर योजना समिति का गठन और समन्वय एवं योजना कार्यान्वयन के लिए महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध करती है. महानगर क्षेत्र के विकास के लिए महानगर विकास एवं निवेश योजनाएं अवसंरचना, पर्यटन, वन, जन निकाय संरक्षण एवं औद्योगिक विकास आदि के लिए नीतियों को शामिल करते हुए तैयार की जाए.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

कैलाश विजयवर्गीय
भारसाधक सदस्य.

भोपाल :
तारीख : २५ जुलाई, २०२५

"संविधान के अनुच्छेद २०७(३) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

वित्तीय ज्ञाप

प्रस्तावित विधेयक के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य की संचित निधि पर रुपये २०० करोड़ का अनावर्ती तथा रुपये १०० करोड़ का आवर्ती व्यय संभावित है.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है:-

(१) खण्ड-३ द्वारा महानगर क्षेत्र एवं तत्संबंधी सीमाओं की घोषणा/अधिसूचित किए जानें;

(२) खण्ड-४ द्वारा महानगर योजना समिति का गठन किये जानें;

(३) खण्ड-५ समिति की संरचना/सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एवं समिति में प्रतिनिधित्व के संबंध में;

(४) खण्ड-६ समिति के कृत्य एवं शक्तियों के अंतर्गत निर्देश योजना प्रारुप, शक्तियों के प्रयोग का प्रकार सुनिश्चित किए जानें;

(५) खण्ड-८ महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन के अंतर्गत नियुक्त सदस्य की पदावधि विहित किए जाने सदस्य को सम्मिलित या विलोपित किए जानें;

(६) खण्ड-१० कार्यकारी समिति का गठन, सदस्यों का विवरण सुनिश्चित किए जानें;

(७) खण्ड-१४ महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अंतर्गत पूर्णकालिक वेतनभोगी सदस्यों अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के लाभ पेंशन एवं भविष्य निधि का गठन के संबंध में;

(८) खण्ड-१७ शासन द्वारा योजना की मंजूरी के संबंध में;

(१०) खण्ड-१८ महानगर विकास और निवेश योजना में उपांतरण के संबंध;

(११) खण्ड-२८ एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण की शक्तियों एवं कृत्य संबंधी;

(१२) खण्ड-२९ अन्य व्यक्तियों द्वारा विकास की अनुज्ञा हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया के संबंध में;

(१३) खण्ड-३० अनुज्ञा का स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने संबंधी धारा २८ के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर महानगरीय आयुक्त द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अधीन लिखित में आदेश जारी करने संबंधी;

(१४) खण्ड-३१ धारा २९ या ३३ के अधीन शर्तों पर दी गई अनुज्ञा से या अनुज्ञा न दिए जाने से व्यथित आदेश की सूचना प्राप्ति की तिथि से तीस दिवस के भीतर अपील के संबंध में;

(१५) खण्ड-३२ अपीलीय प्राधिकरण द्वारा धारा ३० के अधीन पुनरीक्षण आदेश पारित किए जाने संबंधी;

(१६) खण्ड-३३ अनुज्ञा का प्रतिसंहरण किये जाने के संबंध में;

(१७) खण्ड-४४ पूंजीगत अंधोसंरचना परियोजनाओं के लिए विशिष्ट उपकर/शुल्क उदग्रहित करने के संबंध में;

(१८) खण्ड-४५ महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का बजट का प्रारुप विहित किए जानें;

(१९) खण्ड-४७ विकास प्रभार उदग्रहित किए जानें;

(२०) खण्ड-४९ उपयोगकर्ता प्रभारों के उदग्रहण के संबंध में;

(२१) खण्ड-५१ नियमों के क्रियान्वयन हेतु निर्देश जारी करनें;

(२२) खण्ड-५४ शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में;

(२३) खण्ड-५८ महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन और अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु अधिसूचना जारी कर नियम बनाने संबंधी;

(२४) खण्ड-५९ इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग तथा कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक विनियम बनाने संबंधी;

(२५) खण्ड-६३ इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर किए जानें; तथा

(२६) खण्ड-६४ प्राधिकरण को विघटित किए जाने;

के संबंध में नियम बनाये जाएंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.